न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0)–सीकर

नवान– श्रीमती ममता देवी बनाम आनन्दी आदि

क़िस्म मुकदमा– प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट

मु.नं0 89 वर्ष 2023

दिनांक	आज्ञा पत्र	
6.11.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। अप्रार्थी सं0 1 ता 14 व 16 ता 18 बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस उपस्थित नहीं आए इसलिए उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जा चुकी है। वकील अप्रार्थी सं0 15 को जवाब टी0आई0 हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा जवाब टी0आई0 पेश नहीं किये जाने पर जवाब टी0आई0 बंद किया गया। बहस टी0आई0 सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीनी ने आवेदन पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को तादौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करने हेतु निवेदन किया । हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट पेश करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 08.11.23 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाकर राजस्व ग्राम मदनी प0ह0 मंढा मदनी तहसील दांतारामगढ़, सीकर की वादग्रस्त आराजी ख0नं0 572, 573, 574, 575, 576, 576/1238, 831, 831/1300 कुल किता 8 कुल रकबा 6.4000 है0 भूमि के मौके की यथास्थिति कायम रखे तथा राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया था। चूंकि वकील अप्रार्थी सं0 1 ता 14 व 16 ता 18 बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस उपस्थित नहीं आए इसलिए उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जा चुकी है। अप्रार्थी सं0 15 को जवाब टी0आई0 हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा जवाब टी0आई0 पेश नहीं किये जाने पर जवाब टी0आई0 बंद किया जाकर बहस सुनी गई। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बहुलता नहीं बढ़े इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद सं0 112/2023 उनवानी श्रीमती ममता देवी बनाम आनन्दी आदि के निस्तारण तक राजस्व ग्राम मदनी प0ह0 मंढा मदनी तहसील दांतारामगढ़, सीकर की वादग्रस्त आराजी ख0नं0 572, 573, 574, 575, 576, 576/1238, 831, 831/1300 कुल किता 8 कुल रकबा 6.4000 है0 भूमि के मौके की यथास्थिति कायम रखे तथा राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। 6/11 सहायक कलक्टर (मु0)सीकर	